(घ) क्या सरकार का विचार सब भी मूची से नियुक्तियां करने का है भीर इन नियुक्तियों को करने में विल व्य करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है; भीर

(ङ) यदि नहीं. तो इसके क्या कारण है ?

वित तया राजस्व ग्रीर वैकिंग मन्त्री (श्री एव० एम० पटेल): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (इ) महालेखाकार के कार्यालय ग्रथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से लिए गये ग्रहतारहित व्यक्तियों के स्थान पर प्रहेता प्राप्त प्रभागीय लेखाकारों की व्यवस्था करने तथा प्रसागीय लेखाकारों की श्रतिरिक्त प्रावश्यकताग्रों को भी पूरा करने के ब्राशय म परीक्षा नी गयी थी। लेखाओं के विभागीय-गरण के परिणासस्वरूप प्रभागीय लेखाकारों के पदों पर तैनाती की सम्पूर्ण योजना की ममीक्षा कः गयी । यह महसूस किया गया कि प्रभागों में उपलब्ध होने वाले लेखा रखने सम्बन्धी कार्यो श्रीर वित्तीय सलाह क्री मजबत करने की ग्रावण्यकता है और जिन व्यक्तियों ने भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की कनिष्ठ लेखा अधिकारी (असैनिक) परीक्षा ग्रथवा ब्राधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा पास की हो इसके बाद उनको प्रभागीय लेखाकार के रूप में तनात किया जाए । इसके श्रलाबा प्रभागीय लेखाकारों के संवर्ग में ग्रधीनस्थ लेखा सेवा कर्मचारियों के पदोन्नति अवसरों न होने के कारण यह विचार किया गया कि ग्रधीतस्य लेखा मेवा में भीर भागे व्यक्तियों को लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए । महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण ग्रोर विविध द्वारा ली गयी परीक्षा में पास हुए व्यक्तियों

को उपयुक्त विद्यमान खाली पदों पर नियुक्त करने सम्बन्धी प्रश्न पर, जो 1977 में ली गयी कनिष्ठ लेखा ग्रधिकारी परीक्षा के परिणामों का पता लगने के पश्चान् ही विचार किया जाएगा।

Re-instatement of Shri Kripa Shankar and other Employees of the Office of Accountant General, Allahabad

5331. SHRIMATI KAMLA BAHU. GUNA: Wilt the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state the reasons for not reinstating so far Shri Kripa Shabkar and other employees of the office of the Accountant General, Allahabad, removed from service or suspended for political reasons during emergency?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): Shri Kripa Shankar was removed from service under Article 311(2)(c) of the Constitution in December, 1976 as his activities were found to be such as to warrant his removal from service. His representation for reinstatement is receiving attention of the Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India. Two other employees S/Shri D. V. Parashary and Kalp Nath Singh have been reinstated in service in May, 1977. The services of the remaining employees viz. S/Shri D. N. Misra and N. K. Sharma both clerks were terminated with effect from 15-9-1975 under Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965. Shri Misra has filed a writ petition in the Allahabad High Court against termination and it will not, therefore, be appropriate to review his case which is pending for a decision in the court. The representation from Shri N. K. Sharma has been considered by the competent authority and it has not been found possible to reinstate him in service.